न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार और जसवंत सिंह के समक्ष

बलदेव सिंह —— याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य एवम अन्य —— उत्तरदातागण

2008 की C.W.P. संख्या 16935

22 सितंबर, 2009

भारत का संविधान***, 1950*** — अनुच्छेद ***226*** — पंजाब सिविल सेवा नियम**,** वॉल्यूम**.** ***Ii*** नियम ***.6.16-B-*** परिवार पेंशन योजना**,** ***1964-***नियम***.40-*** ग्रेच्युटी एक्ट का भुगतान**,** ***1972-S.2-*** याचिकाकर्ता के बेटे के परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु **-** जीपीएफ की राशि**,** अनुतोषिक – अस्वीकृतिजी नियम के प्रावधानों के अनुसार***.6.16-***बी **-** परिवार की परिभाषा में ससुर शामिल ***'***— नियम ***1.6.16-B (1)*** में प्रयुक्त परिवार में दत्तक माता**-**पिता और विभिन्न व्यक्ति शामिल हैं —— शब्द ***'***में***'*** परिभाषित ***'***शामिल है —— विभिन्न अन्य संबंध जो अभिव्यक्ति परिवार में तार्किक रूप से समझ में आ सकते हैं***' ---*** ससुर**-** और सास को परिवार की परिभाषा में शामिल किया जाना है ***'***— याचिका की अनुमति**,** उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को अनुतोषिक का भुगतान करने का निर्देश दिया**.**

अभिनिर्धारित किया गया,नियमों के नियम *6.16-*बी*(1)* में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'परिवार' को विभिन्न व्यक्तियों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है और खंड *(i)* से *(ix)* तक की सूची को संपूर्ण नहीं माना जा सकता है। इसमें कई अन्य रिश्ते शामिल हो सकते हैं जिन्हें तार्किक रूप से 'परिवार' अभिव्यक्ति में समझा जा सकता है। उप नियम *6.16-* बी *(1)* के खंड *(*ए*)* के विभिन्न उप खंडों की बारीकी से जांच से पता चलेगा कि नियम बनाने वाले अधिकारियों ने कथित तौर पर लाभों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 'परिवार' अभिव्यक्ति को व्यापक दायरा दिया है। ग्रेच्युटी का अनुदान सामाजिक कानून और व्याख्या का एक हिस्सा है जो उपरोक्त वस्तु को आगे बढ़ाता है उस वस्तु को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो वस्तु को विफल करती है। न्यायालय को उस व्याख्या को अपनाना चाहिए जो किसी नियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने की ओर झुकती है न कि उसे अनुचित और संविधान के दायरे से बाहर घोषित करने की। ।

(पारा 9 और 10)

आगे अभिनिर्धारित किया गया, कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 2 की उपधारा (एच) के खंड (ii) का अवलोकन स्पष्ट रूप से बताता है कि महिला कर्मचारी के मामले में पति के आश्रित माता-पिता को अभिव्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।

परिवार'। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को जीपीएफ, अवकाश नकदीकरण, जीआईएस आदि के रूप में उनकी बहू से संबंधित सभी लाभ का भुगतान किया गया है। यह अलग बात है कि वरीयता क्रम में ससुर थकने के बाद आ सकते हैं नियमों के नियम 16(बी)(1) के उप नियम (ए) में दी गई सूची। अत: 'परिवार' अभिव्यक्ति की परिभाषा में ससुर को शामिल किया जाना चाहिए। उस सीमा तक नियम 6.16-बी(1)(ए) को 'परिवार' की परिभाषा में ससुर को शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए।

(पारा 12)

अनुराग गोयल, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता

ऋतु बाहरी, डीएजी हरियाणा, उत्तरदातगण के लिए

न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर तत्काल याचिका में यह घोषणा करने की प्रार्थना की गई है कि सिविल सेवा नियम खंड II के नियम 6.16-बी (जैसा कि हरियाणा पर लागू है) (संक्षिप्तता के लिए 'नियम') और नियम 4 (ii) पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 (संक्षिप्त रूप से 'योजना') के तहत याचिकाकर्ता, जो मृत कर्मचारी का ससुर है, को पारिवारिक पेंशन से वंचित करना असंवैधानिक है और अनुतोषिक भुगतान अधिनियम, 1972 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। 1956. 18 जून, 2008 (पी.6) के आदेश को रद्द करने के लिए एक और प्रार्थना भी की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के अपनी बहू के संबंध में अनुतोषिक के भुगतान के दावे को नियम 6.16 पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया गया है, जिसमें 'परिवार' अभिव्यक्ति की परिभाषा में ससुर को शामिल नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने 15 अक्टूबर, 1984 को प्रतिवादी राज्य द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में विलंबित भुगतान पर ब्याज का दावा किया है (पी .7)।

(2) याचिकाकर्ता का बलकौर सिंह नाम का एक बेटा था। वह अपनी पत्नी परमजीत कौर और दो बच्चों बेटी नवनीत कौर और बेटे रिपनदीप सिंह के साथ अपनी कार में यात्रा कर रहे थे। 27 मार्च, 2006 को गांव खुईन मलकाना के क्षेत्र में उनकी एक दुखद दुर्घटना हुई और उनकी कार के नहर में गिरने से डूबने से उन सभी की मृत्यु हो गई। जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार-सह-वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 7 जून, 2006 को जारी किए गए उनके मृत्यु प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड पर रखा गया है (पी.1 से पी.4)। उनकी मृत्यु के समय, बलकौर सिंह और परमजीत कौर राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनिहारी और राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ढाणी वराछा, जिला सिरसा में जेबीटी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। याचिकाकर्ता ने ससुर और परिवार में एकमात्र जीवित सदस्य होने के नाते जीपीएफ, अवकाश नकदीकरण, जीआईएस, अनुतोषिक और पारिवारिक पेंशन सहित सेवा लाभों के लिए आवेदन किया था। उनके बेटे के संबंध में पारिवारिक पेंशन को छोड़कर अन्य सभी

लाभों का भुगतान कर दिया गया है। हालाँकि, अनुतोषिक और पारिवारिक पेंशन को छोड़कर, बहू परमजीत कौर के संबंध में, याचिकाकर्ता को जीपीएफ, अवकाश नकदीकरण और जीआईएस का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि का भुगतान किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे को अस्वीकार करने का मूल कारण यह है कि ग्रेच्युटी के भुगतान से संबंधित नियमों के नियम 6.16-बी के प्रावधानों के अनुसार ससुर को 'परिवार' की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश दिनांक 18 जून, 2008 (पृ. 6) रिकॉर्ड पर रखा गया है जो इस प्रकार है:

"कृपया स्वर्गीय श्री बलकार सिंह के पिता श्री बलदेव सिंह की ओर से दिए गए आपके नोटिस दिनांक 4/08 का संदर्भ लें। इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री बलकौर सिंह और श्री परमजीत कौर के पेंशन मामले को नियमों के अनुसार निपटाया गया था। हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 नवंबर, 2004 के अनुसार अविवाहित अधिकारियों के माता-पिता को पारिवारिक पेंशन योजना में परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता है। इसलिए वह श्री बलकौर सिंह और श्रीमती परमजीत कौर की पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं। संराशीकरण और पेंशन है केवल सेवा पेंशन के मामले में स्वीकार्य है, न कि पारिवारिक पेंशन के मामले में। जहां तक स्वर्गीय श्रीमती परमजीत कौर की ग्रेच्युटी का सवाल है, पंजाब पेंशन के नियम 6.16 के अनुसार । सीएसआर खंड II में सास-ससुर शामिल नहीं हैं परिवार की परिभाषा। इसलिए आपका नोटिस न तो मान्य है और न ही सुनवाई योग्य है।"

(3) याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया है कि उसने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 370 के तहत अपने बेटे और बहू के संबंध में दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 (पृ. 5) का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) सिरसा द्वारा जारी किया गया, जिला न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग करते हुए। याचिकाकर्ता ने नियम 6.16-बी के साथ पठित नियम 6.16-ए(2) का सहारा लिया। नियमों में कहा गया है कि ग्रेच्युटी पांच साल पूरे होने पर देय है। नियम 6.16 के अनुसार सेवा के दौरान मरने वाले अधिकारी के लिए अर्हक सेवा- ए(2). ग्रेच्युटी का भुगतान उस व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जा सकता है जिस पर इसका अधिकार है ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए नियम 6.16-बी के तहत प्रदान किया जाता है या यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो इसका भुगतान ए के जीवित सदस्यों को समान शेयरों में किया जाएगा सरकारी कर्मचारी का परिवार जैसा कि उपरोक्त नियम में वर्णित है। मामले में वहाँ कोई जीवित सदस्य नहीं है, उसकी विधवा बेटी और/या एक जीवित हो या सरकारी कर्मचारी के परिवार के अधिक सदस्य जो संबंधित हैं नियमों के नियम 6.16-बी(1) की श्रेणियों(v) से (ix) तक, फिर ग्रेच्युटी ऐसे सभी व्यक्तियों को समान शेयरों में भुगतान किया जा सकता है। यह भी दावा किया गया है कि उनकी मृत बहू परमजीत कौर के पिता जीवित हैं- ससुराल वाले, एक भाई जो शादीशुदा है और दो बहनें जिनकी भी शादी हो चुकी है। उसके असली पिता और माँ की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। । इस प्रकार यह दावा किया जाता है कि अनुतोषिक के प्रयोजनों के लिए याचिकाकर्ता एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी है। इस तथ्य के आधार पर अनुतोषिक के भुगतान से इनकार कर दिया गया है कि ससुर नियम 6.16 में दी गई 'परिवार'

की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। नियमों का बी(1). यह भी दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता को एक बार जीपीएफ, जीआईएस और अवकाश नकदीकरण का भुगतान कर दिया गया है पर अनुतोषिक का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया है जो कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं. याचिकाकर्ता ने नियमों के नियम 6.16-बी की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है जो ससुर को इससे बाहर करती है। उसी तथ्य पर परिवार की परिभाषा. योजना के नियम 4(ii) को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों पर भरोसा जताया है की ससुर अभिव्यक्ति 'परिवार' की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। याचिकाकर्ता
ने अनुतोशिक भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों पर भी भरोसा जताया है यह दिखाने के लिए की ससुर शब्द अभिव्यक्ति परिवार में शामिल है।

(4) उत्तरदाताओं ने यह कहते हुए लिखित कथन दायर किया है कि याचिकाकर्ता अपने बेटे और बहू के साथ-साथ ग्रेच्युटी के रूप में पेंशन पाने का हकदार नहीं है क्योंकि ये लाभ उसे नियम 6.16-बी के साथ पढ़े गए नियम 6.16-ए के तहत उपलब्ध नहीं हैं। नियमों का. खुलासा हुआ है कि याचिकाकर्ता खुद हरियाणा राज्य के शिक्षा विभाग का कर्मचारी थाऔर वह 31 दिसंबर, 2002 को सरकारी प्राथमिक विद्यालय, बारागुढ़ा से मुख्य शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वह अपनी पेंशन रु 3482. की मूल पेंशन के हिसाब से प्राप्त कर रहे हैं। याचिकाकर्ता योजना के अनुसार पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं है क्योंकि पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए आय मानदंड यह है कि उनकी कमाई 2,550 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस आशय का वार्षिक प्रमाण पत्र कि उसकी कमाई 2,550 रुपये से अधिक नहीं है काउत्पादन किया जाना है.। उस संबंध में 21 जुलाई, 2006 की अधिसूचना (आर.2) पर भरोसा किया गया है जिसके तहत पैरा 4 (iii) में संशोधन किया गया है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता 3482 रुपये मूल पेंशन के रूप निकाल रहा है। जो स्पष्ट रूप से 2,550 रुपये से अधिक है। इसलिए पेंशन भुगतान के उनके दावे का विरोध किया गया है। अन्य तथ्यात्मक कथनों पर विवाद नहीं किया गया है।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग गोयल ने अभिव्यक्ति 'परिवार' की व्याख्या की मांग करके अपना दावा केवल अनुतोषिक के भुगतान तक ही सीमित रखा है; ताकि ससुर को शामिल किया जा सके। उठाए गए विवाद की सराहना करने के लिए सबसे पहले नियमों के नियम 6.16-ए (2)(ए) को पढ़ना आवश्यक होगा जो इस प्रकार है:

"6.16-ए. (1)

XX

XX

XX

XX

(2)(ए) यदि कोई अधिकारी, जिसने पांच साल की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, सेवा के दौरान मर जाता है, तो उपनियम (3) में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं की अनुतोषिक उस व्यक्ति या व्यक्तियों को भुगतान की जा सकती है, जिस पर अधिकार है अनुतोषिक प्राप्त करने के लिए नियम 6.16-बी के तहत प्रदान किया जाता है या यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसे नियम 6.16-बी में वर्णित सरकारी कर्मचारी के परिवार के उन जीवित सदस्यों को समान शेयरों में भुगतान किया जाएगा जो संबंधित हैं जैसा कि नियम 6.16-बी में बताया गया है। विधवा बेटियों को छोड़कर उसमें उल्लिखित श्रेणियों (i) से (iv) के अंतर्गत आता है। जहां ऐसा कोई जीवित सदस्य नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारी के परिवार में विधवा बेटियां और/या एक या अधिक सदस्य जीवित हैं/हैं, जो नियम 6.16 में उल्लिखित श्रेणियों (v) से (ix) से संबंधित हैं- बी ऐसे सभी व्यक्तियों को ग्रेच्युटी का भुगतान समान शेयरों में किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां अर्हक सेवा निर्धारित न्यूनतम (अर्थात् 5 वर्ष) से कम है, कमी को माफ नहीं किया जाना चाहिए।

(6) अभिव्यक्ति 'परिवार' को नियमों के नियम 6.16-बी(1) द्वारा परिभाषित किया गया है जिसमें ससुर शामिल नहीं है और नियम इस प्रकार है:-

"6.16-बी(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए:-~

(ए) 'परिवार' में सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित रिश्तेदार शामिल होंगे: -

(i) पुरुष सरकारी कर्मचारी के मामले में पत्नी या पत्नियाँ, जिनमें न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी या पत्नियाँ भी शामिल हैं;

(ii)महिला सरकारी कर्मचारियों के मामले में न्यायिक रूप से अलग हुए पति सहित पति;

(iii)बेटों

(सौतेले बच्चों और अविवाहित और विधवा गोद लिए गए बच्चों सहित);

(iv) बेटियाँ;

(v) 18 वर्ष से कम उम्र के भाई और सौतेले भाई-बहनों सहित अविवाहित और विधवा बहनें;

(vi) पिता; ऐसे व्यक्तियों के मामले में दत्तक माता-पिता भी शामिल हैं जिनका व्यक्तिगत कानून गोद लेने की अनुमति देता है;

(vii) माँ;

(viii) विवाहित बेटियाँ; और

(ix) पूर्व मृत पुत्र की संतान।

(बी) इस नियम के प्रयोजन के लिए "व्यक्तियों" में कोई भी कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

(7) नियमों के नियम 6.16-ए के अवलोकन से पता चलता है कि काम के दौरान मरने वाले मृत कर्मचारी की अनुतोषिक का भुगतान उस व्यक्ति/व्यक्तियों को किया जा सकता है, जिसे नियम 6.16-बी के तहत ऐसा अधिकार प्रदान किया गया है। इसलिए, हमें नियम 6.16-बी का अर्थ निकालना आवश्यक है। नियम 6.16-बी दर्शाता है कि अभिव्यक्ति 'परिवार' की परिभाषा संपूर्ण नहीं है बल्कि उदाहरणात्मक है। उपरोक्त सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों में प्रतिपादित किया गया है। क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआई कॉर्पोरेशन बनाम हाई लैंड कॉफ़ी वर्क्स[1] के मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 7 में यह स्पष्ट किया गया है कि जब भी किसी क़ानून में 'शामिल' अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है तो यह जो कहा गया है वह परिभाषा का व्यापक है। इस में। उनके आधिपत्य की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:--

"वैधानिक परिभाषा में 'शामिल' शब्द का उपयोग आम तौर पर पूर्ववर्ती शब्दों के अर्थ को बढ़ाने के लिए किया जाता है और यह विस्तार के माध्यम से होता है, न कि प्रतिबंध के साथ। 'शामिल' शब्द का उपयोग आम तौर पर व्याख्या खंडों में विस्तार करने के लिए किया जाता है क़ानून के मुख्य भाग में आने वाले शब्दों या वाक्यांशों का अर्थ; और जब इसका उपयोग इस प्रकार किया जाता है, तो इन शब्दों या वाक्यांशों को न केवल ऐसी चीजों को समझने के रूप में समझा जाना चाहिए जो वे अपने प्राकृतिक महत्व के अनुसार दर्शाते हैं, बल्कि उन चीजों को भी समझते हैं जो व्याख्या खंड घोषित करता है कि उनमें शामिल होंगे।"

(8) इसी प्रकार वन रेंज अधिकारी बनाम पी. मोहम्मद अली[2] के मामले में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

"शब्द 'शामिल' आम तौर पर विस्तार के शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब एक व्याख्या खंड में उपयोग किया जाता है, तो यह क़ानून के मुख्य भाग में होने वाले शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ को बढ़ाना चाहता है।"

(9) इसलिए, नियमों के नियम 6.16-बी(1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'परिवार' को 'विभिन्न व्यक्तियों को शामिल करने' के लिए परिभाषित किया गया है और खंड (i) से (ix) तक की सूची को संपूर्ण नहीं माना जा सकता है। इसमें कई अन्य रिश्ते शामिल हो सकते हैं जिन्हें तार्किक रूप से 'परिवार' अभिव्यक्ति में समझा जा सकता है।

1(1991) 3 एस.सी.सी. 617

2(1993) पूरक। (3) एससीसी 627

(10) उप-नियम 6.16-बी (1) के खंड (ए) के विभिन्न उप-खंडों की बारीकी से जांच से पता चलेगा कि नियम बनाने वाले अधिकारियों ने कथित तौर पर 'परिवार' अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए व्यापक दायरा दिया है। लाभ की प्रकृति. ग्रेच्युटी का अनुदान सामाजिक कानून और व्याख्या का एक हिस्सा है जो उपरोक्त वस्तु को आगे बढ़ाता है उस वस्तु को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो वस्तु को विफल करती है। यह भी समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायालय को उस व्याख्या को अपनाना चाहिए जो किसी नियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने की ओर झुकती है न कि उसे अनुचित और संविधान के दायरे से बाहर घोषित करने की। पुरुष सरकारी कर्मचारी के मामले में परिभाषा में न केवल पत्नी शामिल है बल्कि इसमें वे पत्नियाँ भी शामिल हैं जो कानूनी रूप से अलग रह रही है। यही स्थिति महिला सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी है जिसमें न केवल पति बल्कि न्यायिक रूप से अलग हुए पति भी शामिल हैं। 'बेटों' की अभिव्यक्ति में सौतेले बच्चे, अविवाहित बच्चे और यहां तक कि विधवा गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं। 'पिता' शब्द में दत्तक माता-पिता भी शामिल हैं। एक बार 'परिवार' की परिभाषा इतनी व्यापक भाषा में ढल जाने के बाद यह समझ में नहीं आता कि ससुर को इस परिभाषा से बाहर कैसे रखा गया है। खंड (vi) से यह स्पष्ट है कि जिन व्यक्तियों का व्यक्तिगत कानून गोद लेने की अनुमति देता है, उनके मामले में पिता को दत्तक माता-पिता को शामिल करना होगा। अत: इसका तात्पर्य यह होगा कि 'परिवार' अभिव्यक्ति की परिभाषा में ससुर को शामिल करना होगा। इसमें सास भी शामिल हो सकती है.

11. उपरोक्त दृष्टिकोण संसदीय क़ानून अर्थात् ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 2(एच) द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन द्वारा भी समर्थित है। अभिव्यक्ति 'परिवार' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"(ज) किसी कर्मचारी के संबंध में 'परिवार' को निम्नलिखित से मिलकर माना जाएगा-

(i) पुरुष कर्मचारी के मामले में, स्वयं, उसकी पत्नी, उसके बच्चे चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता [और उसकी पत्नी और विधवा के आश्रित माता-पिता] और उसके पूर्व मृत बेटे के बच्चे, यदि कोई हों,

ii) <u>एक महिला कर्मचारी के मामले में, वह स्वयं, उसका पति, उसके बच्चे, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके पति के आश्रित माता-पिता और विधवा और उसके पूर्व मृत बेटे के बच्चे, यदि कोई हो।</u>)

(12) धारा 2 की उप-धारा (एच) के खंड (ii) का अवलोकन स्पष्ट रूप से बताता है कि महिला कर्मचारी के मामले में उसके पति के आश्रित माता-पिता को अभिव्यक्ति 'परिवार' की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, भारतीय संदर्भ में इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि शादी के बाद एक महिला को उसके पति के परिवार में स्थापित कर दिया जाता है। उसके सास-ससुर को उसके परिवार से बाहर नहीं किया जा सकता, इसलिए नियम बनाने वाले प्राधिकारियों पर इस आशय का आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वे ससुर को 'परिवार' की परिभाषा से बाहर करना चाहते थे। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को

जीपीएफ, अवकाश नकदीकरण, जीआईएस आदि के रूप में उनकी बहू से संबंधित सभी लाभ का भुगतान किया गया है। यह अलग बात है कि वरीयता क्रम नियम 16(बी) का उपनियम (a) नि शेष हांकने के बाद ससुर आ सकते हैं। अत: 'परिवार' अभिव्यक्ति की परिभाषा में ससुर को शामिल किया जाना चाहिए। उस सीमा तक नियम 6.16-बी(1)(ए) को 'परिवार' की परिभाषा में ससुर को शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए।

(13) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादियों द्वारा पारित दिनांक 18 जून, 2008 का आदेश रद्द किया जाता है। उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी का भुगतान करें। नियम से उत्पन्न कठिनाई को ध्यान में रखते हुए हम याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई ब्याज या लागत देने के इच्छुक नहीं हैं।

आर.एन.आर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश सरोहा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रेवाड़ी हरियाणा